

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग

कमांक:प.8(ड)( )का.भा./डीएलबी/2021/1589

जयपुर,दिनांक : 13-9-2021

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश कमांक 5376 दिनांक 10.01.2022 के द्वारा अध्यक्ष नगरपालिका जावाल जिला सिरोही के पद का कार्य करने हेतु श्री कनाराम भील को 07.07.2022 के द्वारा कमशः कार्यभार अवधि 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य अदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए बढ़ाई गई थी।

अतः श्री कनाराम भील अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) सदस्य नगरपालिका जावाल को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 के प्रावधानों के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कार्यभार अवधि पूर्व आदेश कमांक 1413 दिनांक 07.07.2022 की निरन्तरता में आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए कार्यभार अवधि बढ़ाई जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

( हृदेश कुमार शर्मा )  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांक:प.8(ड)( )का.भा./डीएलबी/2021/1590-1603

जयपुर,दिनांक : 13-9-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर सिरोही।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), जोधपुर।
8. अध्यक्ष / अधिकारी अधिकारी नवगठित नगरपालिका जावाल।
9. संयुक्त निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय।
10. प्रभारी भोनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. श्री कनाराम भील, अध्यक्ष नवगठित नगरपालिका जावाल।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी